दिल्ली विकास प्राधिकरण

पी.एम.–उदय

प्रधानमंत्री–अनधिकृत कॉलोनी दिल्ली आवास अधिकार योजना

PM - Unauthorised Colonies in Delhi Awas Adhikar Yojana (PM-UDAY)

भाग 1 : पी.एम.–उदय में पंजीकरण एवं आवेदन जमा करने की प्रक्रिया

चरण 1 : पंजीकरण	• पीएम–उदय पोर्टल : https://delhi.ncog.gov.in/login पर लॉग–इन करें या दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर जाएं और पीएम–उदय बटन पर क्लिक करें। • पंजीकरण फार्म भरने के लिए 'Registration' बटन पर क्लिक करें। • आवेदक का विवरण, सम्पत्ति विवरण, ई–मेल आई.डी भरें और मोबाइल नंबर लिखें और 'Submit' पर क्लिक करें। • पंजीकरण पर्ची का प्रिंट आउट लें। • भविष्य के संदर्भ के लिए पंजीकरण नंबर नोट कर लें। • पंजीकरण पर्ची पर प्रिंट किया गया जी.आई.एस. एजेंसियों का विवरण नोट करें। **नोट** : पंजीकरण के लिए पीएम–उदय मोबाइल ऐप (जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है) का प्रयोग किया जा सकता है। कृपया पी.एम.–उदय मोबाइल ऐप में यूसी लोकेटर सुविधा का प्रयोग करें– यह आपको अंतरिम सूचना देता है कि आपकी संपत्ति अनधिकृत कॉलोनी सीमा के भीतर है या नहीं।

<table>
<tr><td>चरण 2 : तैयारी</td><td colspan="3">नोट : चरण 2ए से 2डी को एक साथ किया जा सकता है (समानांतर)</td></tr>
<tr><td>चरण 2ए : आवेदन फार्म (पार्ट–1)</td><td>पोर्टल में लॉग–इन करने के बाद 'File Application' पर क्लिक करें।
पंजीकरण प्रक्रिया के लिए प्रयोग किए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर का प्रयोग आवेदन पत्र भरने के लिए किया जाएगा।
लॉग–इन के लिए 'File Application' पर क्लिक करें और पार्ट–1 का विवरण भरें।
एप्लीकेशन फॉर्म–पार्ट–1 : कॉलोनी विवरण, संपत्ति अनुसूची, संपत्ति विवरण, तल/भवन विवरण, भूमि विवरण, स्वामित्व विवरण, और घोषणापत्र भरें।
पार्ट 1 का विवरण भरने के बाद केस आई डी (Case ID) जेनरेट हो जाएगी जिसे पंजीकृत ई–मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी भेजा जाएगा।
पोर्टल से बंध पत्र–I , बंध पत्र II, और शपथ पत्र के फार्मेट डाउनलोड करें (लिंक आवेदन पत्र फॉर्म के भाग 2 में दिया हुआ है)
नोट : आप एप्लीकेशन के पार्ट–1 को फाइल करने के लिए पीएम–उदय मोबाइल ऐप (जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है) का प्रयोग कर सकते हैं।</td><td>चरण 2बीः जीआईएस सर्वेक्षण</td><td>जी.आई.एस. (GIS) सर्वे करवाने के लिए पंजीकरण पर्ची में सूचीबद्ध किसी जीआईएस एजेंसी से संपर्क करें।
जीआईएस सर्वे करवाने के लिए जीआईएस एजेंसी से अनुरोध करें।
जीआईएस एजेंसी 2–3 दिन में आपके परिसर का निरीक्षण करेगी और आवश्यक माप लेगी।
जीआईएस एजेंसी को निर्धारित प्रभार/शुल्क का भुगतान करें और भुगतान रसीद प्राप्त करें।</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>चरण 2सी:* नोटरीकृत बंधपत्र और वचन पत्र</td>
<td>• नोटरी पब्लिक से संपर्क करें।
• 3 स्टैम्प पेपर खरीदें, जिनमें से दो 100 रु. के और एक 10 रु. का हो,
• आपकी संपत्ति के संबंध में बंध पत्र–I, बंध पत्र II, शपथ पत्र, फोर्मेट में डाटा भरें।
• 100 रु. के स्टैम्प पेपर पर बंध पत्र और 10/– रु. के स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र को प्रिंट करें।
• उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें।
• नोटरी द्वारा नोटरीकृत दस्तावेज प्राप्त करें।
[*टिप्पणी : चरण 2 सी में सूचीबद्ध दस्तावेज आपके आवेदन पत्र को प्रोसेस करने के लिए अनिवार्य है। हालाँकि, इन दस्तावेजों के बिना भी आवेदन जमा किया जा सकता है।]</td>
<td>चरण 2डी: दस्तावेज तैयार करना</td>
<td>• अपनी संपत्ति के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज एकत्र करें–
• जनरल पावर ऑफ अर्टोनी (पूरी श्रृंखला)
• विक्रय करार पत्र (पूरी श्रृंखला)
• वसीयतनामा (पूरी श्रृंखला)
• भुगतान साक्ष्य
• कब्जा पत्र साक्ष्य
• बिजली का बिल
• संपत्ति की फोटो
• कोरे कागज पर भू–स्वामियों के हस्ताक्षर
• पैन कार्ड
• आधार कार्ड
• आपकी संपत्ति के संबंध में एक कोरे कागज पर लेन–देन की श्रृंखला की जानकारी तैयार रखें। (आवेदन पत्र के भाग–2 को भरने हेतु आपको इसकी आवश्यकता होगी)</td>
</tr>
<tr>
<td>चरण 3 : दस्तावेजों को अपलोड करें</td>
<td colspan="3">• अलग पीडीएफ फाइल में सभी दस्तावेजों को स्कैन करें (जो चरण 2सी और 2डी में तैयार किए गए है)।
• चरण 2सी में सूचीबद्ध दस्तावेज, यदि आवेदन पत्र भरने के समय पर नहीं भरे गए हो तो दि.वि.प्रा. द्वारा इस कमी को ऑनलाइन दर्शाया जाएगा और आवेदक के लिए यह आवश्यक होगा कि वह भुगतान के एक्टीवेशन से पहले इन दस्तावेजों को अपलोड करें। इन दस्तावेजों को न प्रस्तुत करने पर आवेदन को अस्वीकृत किया जाएगा।
• पी.एम.–उदय पोर्टल पर जाएं; 'File Application' पर क्लिक करें; लॉग इन करें और आवेदन पत्र का भाग 2 भरने के लिए 'Draft' बटन पर क्लिक करें।
• उपर्युक्त 'Upload' बटन का उपयोग करते हुए अपेक्षित दस्तावेज और स्कैन किए गए हस्ताक्षर की कॉपी को अपलोड करें।</td>
</tr>
</table>

	• सम्पत्ति लेन–देन के विवरण की श्रृंखला को भरें। • आवेदन पत्र के भाग–2 को भरने हेतु 'Submit' बटन पर क्लिक करें। **टिप्पणी** : स्कैनिंग और अपलोडिंग की सेवा लेने हेतु आप अपने आस–पास के किसी भी कॉमन सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।
चरण 4 : जी.आई.एस. आईडी अपलोड करें	• जीआईएस एजेंसी सामान्यतः आपको आपकी संपत्ति की जी.आई.एस. आईडी, एस.एम.एस. करेंगी। • यदि एजेंसी 7 दिन में आपको जी.आई.एस. आईडी उपलब्ध नहीं करवाती है तो, कृपया पंजीकरण पर्ची में दिए गए संपर्क नंबर के द्वारा एजेंसी से संपर्क करें। • पी.एम.–उदय पोर्टल पर जाएं; 'File Application' बटन पर क्लिक करें; लॉग इन करें और आवेदन पत्र का भाग 3 भरने के लिए 'Draft' बटन पर क्लिक करें। • जी.आई.एस. एजेंसी से प्राप्त जी.आई.एस. आईडी एंटर करें एवं 'Submit' बटन पर क्लिक करें।

यदि आपने चरण 4 पूर्ण कर लिया है, तो आपका आवेदन पत्र संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत हो गया है। आप अपने आवेदन पत्र की स्थिति को पी.एम.–उदय पोर्टल पर लॉग इन कर पता कर सकते हैं।

दि.वि.प्रा. अधिकारी आपकी पात्रता की जांच हेतु आपके आवेदन पत्र की पूर्व समीक्षा करेंगें। यदि आप पी.एम.–उदय विनियमों के अंतर्गत पात्र नहीं पाए जाते हैं, तो इस स्तर पर आपके आवेदन पत्र को रद्द किया जा सकता है।

अधिक विवरण के लिए डीडीए की वेबसाइट (https://www.dda.org.in → PM-UDAY CELL) अथवा पीएम–उदय पोर्टल (https://delhi.ncog.gov.in/login) पर जाकर आपके नजदीकी सुविधा केन्द्र या कॉमन सर्विस सेन्टर की सूची प्राप्त करें एवं सम्पर्क करें।

आवेदन जमा करने हेतु नीचे यथा–उल्लिखित आज तक की गई अधिकृत जी.आई.एस. एजेंसियों को भी आप संपर्क कर सकते हैं।	
Neo Geoinfo Technologies Pvt Ltd.	7428988499, 7428988441, 7428997854, 7428997855
Excel Geomatics Pvt. Ltd.	8929987214, 8929987215, 8929987216
XPLORER Consultancy Services (P) Ltd.	9999292799
Sidhu Survey Service	7412070185, 7412070184
Clean Tech Venture AES Pvt. Ltd.	9522210070, 9522210071, 9522210073, 9522210084